समाहरणालय,बक्सर
(स्थापना शाखा)

फोन नं0 06183-222336(0)
फैक्स नं0 06183-226935(0)
ई-मेल dm-buxar.bih@nic.in

पत्रांक ______________ /स्था0

प्रेषक,

राघवेन्द्र सिंह,भा0प्र0से0,
जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक, बक्सर

अपर समाहर्त्ता, बक्सर

उप विकास आयुक्त, बक्सर

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बक्सर

स्थापना उप समाहर्त्ता, बक्सर

नजारत उप समाहर्त्ता, बक्सर

अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर/डुमरॉव

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर

जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर
(अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर
(अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर

जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर

उप निर्वाचन पदाधिकारी, बक्सर

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर/डुमरॉव

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बक्सर

सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, बक्सर

अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम, बक्सर

समादेष्टा, गृहरक्षा वाहीनी, बक्सर

जिला जन संपर्क पदाधिकारी, बक्सर

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर

जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर

सहायक निबंधक, सहाकरिता कार्यालय, बक्सर/डुमरॉव

लेफ्टिनेन्ट कर्नल, कमाण्डिंग कार्यालय, बक्सर

असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर

समादेष्टा, बी0एम0पी0–4, डुमरॉव

अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, बक्सर

कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बक्सर

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बक्सर

कार्यपालक अभियंत, नलकूप प्रमण्डल, बक्सर

कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर

कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, चौसा, बक्सर

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, बक्सर

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बक्सर

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, डुमरॉव

कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, बक्सर

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर

कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर

वाणिज्यकर उपायुक्त, बक्सर

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर

अधीक्षक, उत्पाद, बक्सर

जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर

जिला अवर निबंधक, बक्सर

परियोजना निदेशक, आत्मा, बक्सर

जिला मत्स्य पदाधिकारी, बक्सर

जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला–11

सभी अंचलाधिकारी, बक्सर जिला–11

वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव

निरीक्षक, माप–तौल, बक्सर

जिला सांख्यकी पदाधिकारी, बक्सर

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बक्सर जिला–11

सभी परियोजन कार्यपालक पदाधिकारी, बक्सर जिला–7

प्रभारी पदाधिकारी, बिस्कोमान, बक्सर

अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, बक्सर

सहायक केमिस्ट मृदा जॉच कार्यालय, बक्सर

मुख्य अनुदेशक, पशु चिकित्सा विभाग, बक्सर / डुमरॉव

प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरॉव

अतिरिक्त पशु विकास कार्यालय, डुमरॉव

अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर

अधीक्षक, उप कारा, बक्सर

जिला पशु पालन पदाधिकारी, बक्सर

अनुमण्डल पशु पालन पदाधिकारी, बक्सर

पशु शल्य चिकित्सक, बक्सर

प्राचार्य, धनवन्तरी आयु० कॉलेज, अहिरौली, बक्सर

परिविक्षा पदाधिकारी, गृह (जेल), बक्सर

प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, बक्सर

अधीक्षक, खुला काराकार, बक्सर

प्रभारी जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बक्सर

जिला अल्प संख्यक कल्याण पदाधिकारी, बक्सर

चकबंदी पदाधिकारी, इटाढ़ी / बक्सर / राजपुर / सिमरी / नावानगर / ब्रह्मपुर / डुमरॉव

अध्यक्ष, सीता राम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर

अधीक्षक शारीरिक शिक्षा, बक्सर

प्राचार्य, एम0वी0 कॉलेज, बक्सर

प्राचार्य, एस0पी0 संस्कृत कॉलेज, रामपुर (बक्सर)

प्राचार्य, एस0पी0 संस्कृत कॉलेज, देवढ़िया (बक्सर)

प्राचार्य, एस0पी0 संस्कृत कॉलेज, बसॉवकला (इटाढ़ी)

प्राचार्य, डी0के0 कॉलेज, डुमरॉव

प्राचार्य, कृषि महाविद्यालय, डुमरॉव

जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, पुराना भोजपुर / ब्रह्मपुर / मठिला / डुमरी / निमेज

बक्सर, दिनांक________/________/2019

विषय :– दिनांक 01.04.2019 से **CFMS** क्रियान्वयन के कारण वेतन निकासी की व्यवस्था के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3163, दिनांक 28.03.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त निदेशानुरूप दिनांक 01.04.2019 से CFMS क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं **CTMIS** से भुगतान की प्रक्रिया बंद की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में **CFMS** में सभी कार्यालय के लिए प्रशासनिक सोपान का सृजन किया गया है तथा **CFMS User** बनाये गये है। **CTMIS** में संधारित राज्य कर्मियों से संबंधित **Master Data CFMS** में अंतरित किया गया है, जिसका **Validation and Updation** संबंधित कार्यालय प्रधान / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। **CTMIS** से विभाग को प्राप्त सूचना अभी तक संबंधित अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कुल कर्मियों में से मात्र 01 प्रतिशत कर्मियों का हीं **Master Data, Validate and Update** किया गया है। इस धीमी गति के कारण मार्च, 2019 का वेतन जिसकी निकासी अप्रैल, 2019 में देय है, की निकासी कठिन है। उपर्युक्त कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए वेतन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु **CFMS** में निम्नांकित व्यवस्था की गयी है :–

1. **CTMIS** में वेतन भुगतान हेतु उपलब्ध **Master Data** यथा बैंक खाता नं0 **IFSC Code, PRAN/ GPF A/C No., PAN, TAN**, वेतनादि और वेतन से कटौती का डाटा **CFMS** में स्थानांतरित कर दिया गया है।
2. राज्य कर्मीवार फरवरी, 2019 के अनुसार वेतन एवं भत्ता तथा दिसम्बर, 2018 के अनुसार वेतन से की गयी कटौतियों के आधार डाटा पर मार्च, 2019 का विपत्र तैयार करने की व्यवस्था की गयी है। उक्त सभी डाटा **Editable Mode** में होंगे ताकि आवश्यकतानुसार राशि दर्ज की जा सके।

3. एक राज्य कर्मी के वेतन से विभिन्न प्रकार की कटौती यथा **GPF/NPS, Group Insurance, Income Tax, Loan recovery** आदि की जाती है, जो लेखा पुस्त अंतरण द्वारा कोषागार में अन्य बजट शीर्ष में, क्रेडिट होता है। इसलिए राज्यकर्मी का **GPF/PRAN** खाता नंबर, **TAN, PAN** आदि की शुद्वता एवं सत्यता की जॉच अतिआवश्यक है। इनकी शुद्वता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कार्यालय प्रधान की होगी। इसी प्रकार राज्यकर्मी का बैंक खाता तथा **IFSC Code** की शुद्वता भी महत्वपूर्ण है। यदि गलत सूचना अंकित करने के कारण गलत खाते में राशि का भुगतान होता है तो कार्यालय प्रधान जिम्मेवार होंगे।
4. विपत्र तैयार करने के बाद **Salary Slip** के ड्रॉफ्ट का प्रिन्ट लेकर संबंधित राज्यकर्मी को दिखाकर शुद्वता की जॉच करा लिया जाय तथा उसपर उनका हस्ताक्षर भी ले लिया जाय तकि शुद्वता की जिम्मेवारी संबंधित राज्य कर्मी पर भी हो।

अतः प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि सभी कार्यालय प्रधान एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवगत होते हुए सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों का **CTMIS** से **CFMS** में डाटा अंतरण का कार्य पूर्ण तथा सम्पुष्ट एवं अद्यतन कराने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 01–0666/बक्सर,दिनांक 04/04/2019

प्रतिलिपि :– डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि वर्णित पत्र [illegible] को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/04/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना - 800 015
फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : +91-612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

111

जिला स्थापना शाखा 30.3.19

पत्रांक-को०प्र०/कम्प्यूटर-07/2015. 3163 ....../

जिलाधिकारी कार्यालय बक्सर 30 MAR 2019

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक 28/03/19.......

विषय :- दिनांक 01.04.2019 से CFMS क्रियान्वयन के कारण वेतन निकासी की व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-01.04.2019 से CFMS का क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं CTMIS बंद किया जा रहा है। अप्रैल, 2019 में सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेतन भुगतान की है। इसलिए CFMS में सभी कार्यालयों के लिए प्रशासनिक सोपान का सृजन किया गया तथा CFMS User बनाये गये है। CTMIS में संधारित राज्यकर्मियों से संबंधित Master Data CFMS में अंतरित किया गया है जिसका Validation and Updation संबंधित कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन कार्यालयों द्वारा किया जाना है। CTMIS से प्राप्त सूचना से स्पष्ट होता है कि अभी तक आपके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कुल कर्मियों में से मात्र 01 प्रतिशत कर्मियों का ही Master Data, Validate and Update किया गया है। इस धीमी गति के कारण मार्च, 2019 का वेतन जो अप्रैल, 2019 में देय है, की निकासी कठिन है। उपर्युक्त कठिनाई को ध्यान में रखते हुए वेतन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु CFMS में निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :-

1. CTMIS में वेतन भुगतान हेतु उपलब्ध मास्टर डाटा यथा बैंक खाता नंबर, IFSC Code, PRAN/GPF A/C No., PAN, TAN, वेतनादि और वेतन से कटौती का डाटा CFMS में स्थानांतरित कर दिया गया है।
2. राज्यकर्मीवार फरवरी, 2019 के अनुसार वेतन एवं भत्ता तथा दिसम्बर, 2018 के अनुसार वेतन से की गयी कटौतियों के आधार डाटा पर मार्च, 2019 का विपत्र तैयार करने की व्यवस्था की गयी है। उक्त सभी डाटा Editable Mode में होंगे, ताकि आवश्यकतानुसार राशि दर्ज की जा सके।

स्था० 31/3/2019 3925

Guard file

36-S-2019

3. एक राज्यकर्मी के वेतन से विभिन्न प्रकार की कटौती यथा GPF/NPS, Group Insurance, Income Tax, Loan recovery आदि की जाती है, जो लेखा पुस्त अंतरण द्वारा कोषागार में अन्य बजट शीर्ष में, क्रेडिट होता है। इसलिए राज्यकर्मी का GPF/PRAN खाता नंबर, TAN, PAN आदि की शुद्धता एवं सत्यता की जाँच अतिआवश्यक है। इनकी शुद्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कार्यालय प्रधान की होगी। इसी प्रकार राज्यकर्मी का बैंक खाता तथा IFSC Code की शुद्धता भी महत्वपूर्ण है। यदि गलत सूचना अंकित करने के कारण गलत खाते में राशि का भुगतान होता है तो कार्यालय प्रधान जिम्मेवार होंगे।
4. विपत्र तैयार करने के बाद Salary Slip के ड्रॉफ्ट का प्रिन्ट लेकर संबंधित राज्यकर्मी को दिखाकर शुद्धता की जाँच करा लिया जाय तथा उसपर उनका हस्ताक्षर भी ले लिया जाय ताकि शुद्धता की जिम्मेवारी संबंधित राज्यकर्मी पर भी हो।

अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था से सभी कार्यालय प्रधान एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अवगत कराते हुए सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों का CTMIS से CFMS में डाटा अंतरण का कार्य पूर्ण तथा संपुष्ट एवं अद्यतन कराने की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

(एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव।

36-5-2019